प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खेतों में होने वाली फसल हानि के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

---

2. किन कारणों से फसल प्रभावित होती है और जोखिम कवर होते हैं?

प्राकृतिक आपदा, कीटों के हमले और प्रतिकूल मौसम की दशायें जैसे अधिक या कम वर्षा, तापमान की अधिकता या कमी, नमी, तुषार (पाला) , हवा की गति इत्यादि।

---

3. दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

a. यदि बीमाकृत मौसम अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमित फसलों की प्रति हेक्टेयर वास्तविक पैदावार (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गयी गणना), निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड उपज से कम हो जाती है, तो उस परिभाषित क्षेत्र में सभी बीमित किसान और फसल के लिए उपज में कमी को मान लिया जाता है।

निम्नलिखित सूत्र के अनुसार "दावा" की गणना की जाएगी :

$$\frac{\text{(थ्रेशोल्ड उपज - वास्तविक उपज)}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \text{ X बीमित राशि}$$

जहां, उस सीजन के लिए एक अधिसूचित बीमा इकाई में एक फसल के लिए थ्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाई); पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज में फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा करके प्राप्त की जाती है।

b. किसानों के दावों का निपटान तब शुरू होगा जब उक्त मौसम के लिए केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार से प्रीमियम अनुदान बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।

---

4. इस योजना के तहत प्रीमियम दरें क्या हैं?

पीएमएफबीवाई योजना के तहत ली जाने वाली बीमांकिक प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं:-

a. खरीफ फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमित राशि का 2% या बीमांकिक प्रीमियम दर जो भी कम हो।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

b. रबी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमित राशि का 1.5% या बीमांकिक प्रीमियम दर जो भी कम हो।

c. खरीफ और रबी में व्यावसायिक / उद्यानिकी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमित राशि का 5% या बीमांकिक प्रीमियम दर जो भी कम हो।

---

5. किसानों के लिए निष्फल बुवाई के दावे कैसे लागू होते हैं ?

निष्फल बुवाई/ रोपण जोखिम: यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र की अधिकांश बीमित फसलों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई/ रोपण से निष्फल होती हैं, तो बीमित फ़सलें बीमित राशि के अधिकतम 25% क्षतिपूर्ति दावों की पात्र होंगी।

I. अधिसूचित इकाई में प्रारंभिक चरण में नुकसान, 75% से अधिक क्षेत्र में बोई गई फसलों को प्रभावित करने वाले पात्र जोखिमों की व्यापक घटनाओं के मामले में किसानों के लिए कवरेज लागू है; जिससे फसल की सम्पूर्ण क्षति होती है या किसान फसल बोने या प्रत्यारोपण करने की स्थिति में नहीं होता है (या) कम या अधिक वर्षा के कारण बुवाई या फसल अंकुरण नहीं हो पाता है।

II. पात्रता मापदंड:

केवल वे किसान जिन्होंने क्षति से पहले प्रीमियम का भुगतान किया है / क्षति से पहले प्रीमियम उनके खाते से डेबिट किया गया है। राज्य सरकार मौसम की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर अधिसूचित बीमा इकाईवार एवं फसलवार सामान्य बुवाई क्षेत्र प्रदान करेगी।
"बाधित बुवाई / रोपण" का भुगतान केवल तभी होगा जब अधिसूचित फसल के लिए 75% से अधिक बुवाई क्षेत्र उपरोक्त किसी भी जोखिम की घटना के कारण बुवाई रहित हो गया हो।

III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

- ✓ कवर केवल प्रमुख फसलों के लिए उपलब्ध होगा।
- ✓ भुगतान कुल बीमित राशि का 25% होगा और उसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

नोट: बीमा कंपनी राज्य सरकार के अधिसूचना/ आदेश के 30 दिनों के भीतर दावे को वितरित कर देगी, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम अनुदान की अंतिम सरकारी हिस्सेदारी की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना भुगतान किया जायेगा।

---

6. किसानों के लिए खड़ी फसल के दौरान प्रदान किया गया कवरेज क्या है?

खड़ी फसल (बुवाई से फसल कटाई): न रोकने योग्य जोखिमों अर्थात अकाल, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीट और रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक अग्नि और बिजली गिरना, आंधी, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, तेज़ हवा, झंझावत और बवंडर के कारण उपज हानि को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

i. बाढ़, लंबे समय तक सूखे की स्थिति, गंभीर सूखा आदि के कारण खड़ी फसलों के लिए मध्यावधि दावों की प्रतिकूलता के कारण ऑन-अकाउंट भुगतान लागू होता है,जहाँ अपेक्षित उपज सामान्य उपज से 50% से कम होगी।

ii. उन किसानों के लिए पात्रता मानदंड जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान किया है या जिनके प्रीमियम को नुकसान से पहले उनके खाते से डेबिट किया गया है।

नोट: यदि प्रतिकूलता सामान्य फसल कटाई समय से 15 दिन पहले होती है, तो यह प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी संकेतक के आधार पर क्षति अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाता है।

iii. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

संयुक्त नुकसान का आकलन सरकार के साथ किया जाता है और यदि लागू होता है तो ऑन-अकाउंट भुगतान की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$\frac{\text{(थ्रेशोल्ड उपज - अनुमानित उपज)}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि} \times 25\%$$

नोट: अधिकतम देय राशि संभावित दावों का 25% होगी, अंतिम दावों के प्रति समायोजन के अधीन।

iv. नुकसान का आकलन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा

क्षति के बाद 7 दिनों के भीतर सरकार द्वारा हानि विवरण की पात्रता प्रदान की जाएगी।
क्षति का आकलन क्षति के बाद 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार,बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम अनुदान की अंतिम सरकारी हिस्सेदारी की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना ऑन-अकाउंट भुगतान किया जाएगा।

दावों से संबंधित प्रश्नों के लिए ग्राहक हमारे कॉल सेंटर 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं या care@hdfcergo.com पर मेल लिख सकते हैं।

---

7. अगर फसल कट जाती है, तो उसके बाद भी नुकसान कवर होता है और किस हद तक?

कटाई पश्चात नुकसान**:** कवरेज केवल उन फसलों के लिए कटाई से दो सप्ताह की अधिकतम अवधि तक उपलब्ध है, जिन्हें ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट जोखिमों के खिलाफ कटाई के बाद खेत में कटने और सूखने की स्थिति में सूखने दिया जाता है।

a. पूरे देश में चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के कारण परिणामस्वरूप खेत में काटी गई फसल "कटी और फली हुई स्थिति" के बाद फसल को नुकसान होता है, फसल कटाई की तारीख से लेकर सुखाने की अधिकतम अवधि दो सप्ताह (14 दिन) होती है।

b. पात्रता मानदंड: केवल वे किसान जिन्होंने नुकसान से पहले प्रीमियम का भुगतान किया है / प्रीमियम उनके खाते से डेबिट किया गया है, निर्दिष्ट जोखिमों से क्षतिग्रस्त, कटाई के 14 दिन बाद तक।

c. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

किसान द्वारा क्षति के 72 घंटे में हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700, हमारे स्थानीय कार्यालय, संबंधित बैंक, जिले के स्थानीय कृषि विभाग या सम्बंधित अधिकारियों को सूचना प्रदान करना आवश्यक है और जानकारी में खसरा संख्या-वार बीमित फसल और प्रभावित रकबे का विवरण होना चाहिए।

किसान को बाद में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ दावा फॉर्म दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित रूप में प्रदान करना चाहिए।

नुकसान आकलनकर्ता नियुक्त किया जाएगा और मूल्यांकन निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, जिससे नुकसान आकलन रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद दावों का निपटारा किया जाएगा, जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन है।

दावों से संबंधित प्रश्नों के लिए ग्राहक हमारे कॉल सेंटर 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं या care@hdfcergo.com पर मेल लिख सकते हैं ।

---

8. क्या भूस्खलन और ओलावृष्टि कवर है और दावा कैसे किया जाए?

स्थानीय आपदाएँ: अधिसूचित क्षेत्र में अलग थलग खेतों में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों की घटना से होने वाली हानि/क्षति।

a. यदि अधिसूचित क्षेत्रों में अलग थलग खेतों में भूस्खलन, ओलावृष्टि, बाढ़, बादल फटने और और आकाशीय बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग जैसी किसी भी स्थानीय विपत्तिओं/ आपदाओं के कारण फसल का नुकसान होता है, तो किसान स्थानीय आपदा के लिए दावा करने के लिए पात्र है।

b. पात्रता मापदंड:
केवल वे किसान जिन्होंने क्षति से पहले प्रीमियम का भुगतान किया है/ प्रीमियम उनके खाते से डेबिट किया गया है।

नोट: बीमित राशि के अधीन, अधिकतम भुगतान इनपुट की लागत के अनुपात में होगा, जो बीमाकृत जोखिम की घटना तक व्यय हुआ है।

यदि क्षेत्र के दृष्टिकोण के तहत भुगतान (सीसीई के आंकड़ों के आधार पर) स्थानीय नुकसान से अधिक है, तो दोनों में से उच्च दावे बीमित किसानों को देय होंगे, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन हैं।

c. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

किसान द्वारा क्षति के 72 घंटे में हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700, हमारे स्थानीय कार्यालय, संबंधित बैंक, जिले के स्थानीय कृषि विभाग या सम्बंधित अधिकारियों को सूचना प्रदान करना आवश्यक है और जानकारी में खसरा संख्या-वार बीमित फसल और प्रभावित रकबे का विवरण होना चाहिए।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

किसान को बाद में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ दावा फॉर्म दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित रूप में प्रदान करना चाहिए।
नुकसान आकलनकर्ता नियुक्त किया जाएगा और मूल्यांकन निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, नुकसान आकलन रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद दावों का निपटान किया जाएगा।

दावों से संबंधित प्रश्नों के लिए ग्राहक हमारे कॉल सेंटर 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं या care@hdfcergo.com पर मेल लिख सकते हैं

नोट: युद्ध और परमाणु जोखिमों से होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जाने योग्य जोखिमों को बाहर रखा जाएगा।

---

9. इस योजना के तहत कौन सी फसल को कवर किया जा सकता है?
   a. . खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें
   b. तिलहन जैसे मूंगफली
   c. वार्षिक वाणिज्यिक/ वार्षिक बागवानी फसलें जैसे फल और सब्जियां

   बारहमासी फसलों के अलावा कवरेज के लिए पायलटों को उन बारहमासी बागवानी फसलों के लिए लिया जा सकता है जिनके लिए उपज अनुमान के लिए मानक पद्धति उपलब्ध है।

---

10. सामान्य प्रीमियम सब्सिडी अनुपात क्या होगा?

   a. बीमांकिक प्रीमियम दर और किसान देय प्रीमियम दर के बीच अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी दर के रूप में माना जाएगा, जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
   b. कुछ राज्य अपने मानदंडों के अनुसार अपने बजट से निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करते हैं और किसान सरकारी वेबसाइट पर उसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं।

---

11. पीएमएफबीवाई के तहत कवर प्राप्त करने के लिए किसान पात्रता क्या है?

बीमा योग्य रूचि वाले सभी किसानों को इन योजनाओं के तहत कवर किया जा सकता है, जिसमें बटाईदार और काश्तकार किसान भी शामिल हैं।

- ✓ किसानों को अधिसूचित/ बीमित फसलों के लिए बीमा योग्य रूचि होनी चाहिए।
- ✓ यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।
- ✓ वे सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया हो और जिन्होंने योजना की कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

होंगे। फिर बैंक/ सीएससी/ मध्यस्थ भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।

- ✓ गैर-ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (रिकॉर्ड्स ऑफ राइट (आरओआर), भूमि कब्ज़ा प्रमाण पत्र (एलपीसी) आदि) और/ या लागू अनुबंध/ समझौते के विवरण/ अन्य दस्तावेज अधिसूचित/ संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमति दिए गए आवश्यक दस्तावेज (बटाईदार / किरायेदार किसानों के मामले में) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

  किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/ पैक्स / अधिकृत चैनल पार्टनर/ बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि/ फसल (जैसे स्वामित्व/ किरायेदारी/ खेती के अधिकार) के बीमा के लिए प्रस्तावित रूचि के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ बैंक शाखा/ बीमा मध्यस्थ/ सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें ।

- ✓ कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में एक खाता खोलना/ संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।

- ✓ किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि की पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजी सबूत प्रदान करना चाहिए। कृषक को क्षेत्र की पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

- ✓ किसान को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक माध्यम से भूमि के टुकड़े में अधिसूचित फसल (लों) उगाई गई/ उगाने के लिए प्रस्तावित के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो। किसी डुप्लिकेट या दोहरे बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज का पात्र नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे सभी दावों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और ऐसे मामलों में प्रीमियम भी वापस नहीं करेगी।

- ✓ कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

- ✓ फसल योजना में कोई बदलाव अंतिम तिथि से कम से कम 2 दिन पहले बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

- ✓ बीमा प्रस्ताव केवल एसएलसीसीसी/ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित घोषित तिथि के अनुसार निर्धारित तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं।

---

12. फसलों के लिए उपलब्ध कवरेज की सीमा क्या है?

कवरेज फसल मूल्य के 100% के लिए प्रदान नहीं किया जाता है । बीमित राशि फसल की खेती के इनपुट की लागत का आधार है। फिर फसल की जोखिमशीलता के आधार पर क्षतिपूर्ति का स्तर जिला और फसल स्तर पर विभिन्न स्तरों पर निर्धारित किया जाता है जैसे - उच्च जोखिम के लिए 70%, मध्यम जोखिम के लिए 80% और कम जोखिम के लिए 90%। राज्य में राज्य स्तरीय फसल समन्वय समिति राज्यों में निविदा प्रक्रिया से पहले अधिसूचित फसल और क्षेत्र के लिए वित्त और क्षतिपूर्ति स्तर के संबंधित पैमाने को मंजूरी देती है। इसलिए किसान के लिए कवरेज राज्य स्तरीय फसल समन्वय समिति द्वारा घोषित अंतिम राशि का आधार है।

---

13. क्या पीएमएफबीवाई के लिए नामांकन की कोई समयसीमा है?

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

सभी नामांकन आवश्यक रूप से अंतिम तिथि के भीतर पूरे करने आवश्यक हैं जैसा संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना में परिभाषित किया गया है और किसान के हिस्से का प्रीमियम बीमा कंपनी को अंतिम तिथि के भीतर बैंक या मध्यवर्ती द्वारा विधिवत प्रेषित होना चाहिए। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी देरी के कारण बीमा कंपनी को कवरेज अस्वीकार करने का अधिकार है ।

---

14. पीएमएफबीवाई योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य क्या है?

पीएमएफबीवाई एक जोखिम शमन उपकरण है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आय स्थिर करना है ताकि खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। यह सभी चरणों में अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसलों के जोखिमों को कवर करता है, अर्थात् बुवाई से लेकर फसल कटाई तक। यह किसानों को आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि कृषि क्षेत्र में आय और स्थायी उत्पादन स्थिर हो सके।

---

15. व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि क्या है?

व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि किसानों द्वारा अधिसूचित फसल के क्षेत्र से गुणित प्रति हेक्टेयर वित्त के पैमाने के बराबर है। खरीफ 2020 के लिए एचडीएफसी एर्गो को आवंटित राज्यों में विभिन्न फसलों की बीमित राशि को संबंधित राज्यों के अनुभाग में देखा जा सकता है।

---

16. किसान के दावों के निपटारे का आधार क्या है?

थ्रेशोल्ड यील्ड (TY) मापदंड उपज स्तर होगी, जिस पर किसी बीमा इकाई में सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी। बीमा इकाई (IU) में अधिसूचित फसल की औसत उपज, पिछले सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होगी। अधिसूचित फसल की थ्रेशोल्ड पैदावार क्षतिपूर्ति स्तर से गुणित औसत उपज के बराबर है।

---

17. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य के लिए पूर्व शर्तें क्या हैं?

a. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों को स्लाइडिंग स्केल आधार पर अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग (CCEs) संचालित करना चाहिए।

b. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्धारित समय सीमा के भीतर यानी अंतिम फसल की तारीख से एक महीने के भीतर बीमा कंपनियों को सीसीई आधारित उपज डेटा जमा करना चाहिए।

c. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों को ऑन अकाउंट भुगतान निपटान के उद्देश्य से स्वचालित मौसम केंद्र नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

d. राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश को सीसीई के संचालन के लिए आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

18. ऋण लेने वाले किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम की संग्रह प्रक्रिया क्या है?

सभी ऋणी किसानों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है।

सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया हो और जिन्होंने योजना की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/ सीएससी/ मध्यस्थ भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।

फसलों के मौसम के आधार पर, बैंकों को वित्त पैमाने के आधार पर खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए ऋण राशि की पात्रता की गणना अलग से करनी चाहिए और अधिसूचित फसलों के तहत व्यक्तिगत ऋणी किसान के क्षेत्र की घोषणा करनी चाहिए।

---

19. गैर ऋणी किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम की संग्रह प्रक्रिया क्या है?

a. वैकल्पिक घटक के तहत गैर ऋणी किसान - चैनल पार्टनर/ मध्यस्थ

उन सभी किसानों को जिन्होंने एसओए (मौसमी कृषि संचालन) ऋण का लाभ नहीं लिया है और बीमा योग्य रूचि रखते है, वे बस निकटतम वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) या पैक्स (डीसीसीबी) शाखा में जाकर कवर ले सकते हैं। बैंक अधिकारी प्रस्ताव फॉर्म भरने, प्रासंगिक दस्तावेज, बीमित राशि और लागू प्रीमियम आदि के संबंध में किसानों की सहायता और मार्गदर्शन करेंगे । ऐसे मामलों के लिए बैंक खाते का संचालन आवश्यक है।

उन सभी किसानों को जिन्होंने एसओए (मौसमी कृषि संचालन) ऋण का लाभ नहीं लिया है और बीमा योग्य रूचि रखते हैं, उन्हें भी बस आवश्यक प्रीमियम राशि के साथ प्रस्ताव फॉर्म और प्रासंगिक दस्तावेज भरने पर कवर किया जा सकता है और यह आईआरडीए द्वारा अनुमोदित और नामित मध्यस्थ के पास जमा कर सकते हैं। नामित मध्यस्थ बीमा योग्य रूचि और ज़मीन के रिकॉर्ड, 7/12 उतारा या भूमि अधिकारों के रिकॉर्ड, बुवाई प्रमाण पत्र, आईडी प्रमाण, बैंक पासबुक, रद्द किए गए चेक यदि बैंक पासबुक में आवश्यक फोटो आईडी न हो तो और लागू अनुबंध / समझौते बटाईदार या किरायेदारों के मामले में संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज़ सत्यापित करेंगे । *मध्यस्थ को आवश्यक प्रीमियम कलेक्ट करना और बीमा कंपनी में व्यक्तिगत/ समेकित प्रीमियम भुगतान का धन प्रेषण करना होगा, साथ ही व्यक्तिगत प्रस्ताव प्रपत्र, सारांश विवरण घोषणा/ सूची पत्र (एमआईएस) में और प्रत्येक बीमाकर्ता को विवरण की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करनी होगी और साथ ही सीधे फसल बीमा पोर्टल पर डेटा भी अपलोड करना होगा।*

b. <u>वैकल्पिक घटक के तहत गैर ऋणी किसान - सीधे बीमा कंपनियों को।</u>

बीमा योग्य रूचि वाले गैर ऋणी किसान बीमा कंपनियों को डाक के माध्यम से या आवश्यक प्रीमियम और प्रासंगिक दस्तावेज के साथ फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव भेज सकते हैं जैसे बटाईदार या किरायेदारों के मामले में भूमि रिकॉर्ड या लागू समझौता/ अनुबंध।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

बीमा कंपनियां बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार बरकरार रखती हैं। यदि कोई प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्रस्ताव प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। प्रस्ताव फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें _____

---

20. क्या प्रक्रिया है जिसका राज्य अनुसरण करता है और अधिसूचना करता है?

a. पीएमएफबीवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से प्रशासनिक निर्देश जारी करने के बाद, एसएलसीसीसीआई आम तौर पर बोली नोटिस जारी करने के साथ फसलों, अधिसूचित क्षेत्र, वित्त के पैमाने, क्षतिपूर्ति स्तर आदि की अधिसूचना पर विभिन्न नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित करता है।
b. एसएलसीसीसीआई आम तौर पर फसल सीजन शुरू होने के कम से कम एक महीने पहले यानी खरीफ के लिए मार्च और रबी के लिए सितंबर में अपने राज्यों की संबंधित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिसूचना और सर्कुलेशन जारी करता है।
c. अधिसूचना जारी करने से एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार और चयनित कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समन्वय में फसल बीमा पोर्टल (www.agri-insurance.gov.in) पर अधिसूचना की सभी अपेक्षित जानकारी अपलोड कराना एवं उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

---

21. क्या नामांकन के लिए कोई कट ऑफ डेट है?

a. पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यस्थों और बैंकों के लिए अंतिम तिथियां अलग-अलग होती हैं। ऋणी किसानों को कवर करने के लिए समग्र ऋण अवधि, खरीफ के लिए - अप्रैल से जुलाई और रबी के लिए - अक्टूबर से दिसंबर तक होगी।
b. किसानों से प्रीमियम जमा करने के लिए बैंकर्स – ऋणी और गैर ऋणी किसान दोनों के लिए प्रस्ताव फार्म प्राप्त करने / खाते से प्रीमियम डेबिट की अंतिम तिथि खरीफ के लिए - 15 जुलाई और रबी के लिए - 15 दिसंबर है ।
c. बैंकर्स को बीमा कंपनी में जमा करने के लिए - नोडल बैंक/ बैंक शाखाओं से समेकित घोषणा/ प्रस्ताव की प्राप्ति की अंतिम तिथि, किसानों के खाते से प्रीमियम डेबिट करने के बाद ऋणी किसानों के लिए 15 दिनों के भीतर और गैर ऋणी किसानों के लिए कट-ऑफ तारीख से 7 दिनों के भीतर क्रमशः खरीफ और रबी सीजन में है।
d. बीमा मध्यस्थ से बीमा कंपनी को प्रस्तुत करना – नामित बीमा एजेंट से बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति की अंतिम तिथि क्रमशः घोषणा/ प्रीमियम प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर होगी।

.यह ध्यान देना चाहिए कि न तो DAC & FW और न ही किसी भी राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को किसी भी परिस्थिति में निर्धारित होने एवं अधिसूचित होने के बाद मौसम की अंतिम तिथियों का विस्तार करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

---

22. क्या पोर्टल में डेटा दर्ज करने के लिए कोई अंतिम तिथि हैं?

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

किसी भी बैंकर या मध्यस्थ के माध्यम से किये गए सभी नामांकन, व्यक्तिगत बीमित किसानों की सूचना (सॉफ्ट कॉपी) फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि, प्रीमियम के संग्रह की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर होगी।

---

23. राज्य बीमा कंपनियों को उपज के आंकड़े कब प्रदान करते हैं?

राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए, कट-ऑफ तारीखों को सभी उपज के आंकड़े फसल कटाई को अंतिम रूप देने और अंतिम फसल की तारीख से एक महीने के भीतर बीमा कंपनियों को सभी उपज के आंकड़े प्रदान करना आवश्यक है।

---

24. डेटा प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी दावों का निपटान कब करेगी?

बीमा कंपनियां राज्य सरकार से उपज के आंकड़े प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उपज के आंकड़ों के आधार पर अंतिम दावे का भुगतान करेंगी।

---

25. मूल्य निर्धारण या प्रीमियम दर प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं?

a. यह योजना बीमा इकाई (आईयू) नामक चयनित परिभाषित क्षेत्र में एरिया एप्रोच के सिद्धांत पर काम करेगी। राज्य सरकार प्रमुख फसलों के लिए ग्राम पंचायत की बीमा इकाई या अन्य समकक्ष इकाइयों को सूचित करेगी और गौण फसलों के लिए ग्राम/ ग्राम पंचायत स्तर से ऊपर इकाई आकार को।

b. एसएलसीसीसीआई, दो महीने के भीतर बीमा कंपनी को बीमाकृत फसलों के बुवाई क्षेत्र के साथ-साथ बीमित अवधि के लिए मानक प्रारूप में प्रमुख और गौण फसलों के लिए बीमा इकाई पर आधारित कम से कम पिछले 10 वर्षों के ऐतिहासिक उपज के आंकड़े प्रदान करेगी।

c. ऋणी और गैर ऋणी किसानों दोनों के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि बराबर होगी जो जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय की गई है, और एसएलसीसीसीआई इसको पूर्व घोषित करेगी एवं बीमा कंपनियों को सूचित करेगी ।

---

26. बोई गई फसल और परिवर्तन के बारे में कंपनी को सूचित करने के लिए क्या प्रक्रिया है?

यदि किसान बोई जाने वाली फसल को बदलता है, तो उसे बीमा खरीदने या बुवाई के लिए वित्तीय संस्था/ चैनल पार्टनर/ बीमा मध्यस्थ/ को बदलाव करने से कट ऑफ़ दिनांक से कम से कम 2 दिन पहले बीमा कंपनी को सीधे सूचित करना चाहिए; जैसा भी मामला हो, प्रीमियम देय में अंतर, यदि कोई हो, साथ में राज्य के संबंधित गांव/ उप-जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किए गए बुवाई प्रमाण पत्र के साथ। यदि प्रीमियम का भुगतान अधिक हुआ, तो बीमा कंपनी अतिरिक्त वापस कर देगी।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

27. बैंक और मध्यस्थों को देय कमीशन और बैंक शुल्क क्या हैं?

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों आदि को किसानों से एकत्रित प्रीमियम का 4 % सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। आईआरडीए विनियमों के अधीन निर्धारित बीमा कंपनी द्वारा तय किए गए अनुसार किसानों को बीमा संबंधी सेवाओं से जुड़े ग्रामीण एजेंटों को उचित कमीशन का भुगतान किया जाएगा।

---

28. क्या इस योजना के तहत सेवा कर लागू है?

पीएमएफबीवाई को सेवा कर से छूट प्राप्त है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX